न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
6/5/24	वकील पक्षकारान उप०। वास्ते पेश करने जवाब अप्रार्थी एवं गैर तामील शेष अप्रार्थी दिनांक 01/07/24 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
01/7/24	वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थी ने द०१(10) आ०दी० पेश की। शे० मि० हों। वास्ते जवाब 1(10) आ०दी० पत्रावली दि० 29/7/24 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
29/07/24	वकील पक्षकारान उप०। वास्ते जवाब 1(10) आ०दी० पत्रावली दिनांक 21/8/24 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
	21/8/24 ...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/~~बाहर पधारे हैं~~। उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 21-10-24 को पेश हो।
21/10/24	वकील पक्षकारान उप०। वास्ते जवाब द०१(10) आ०दी० पत्रावली दिनांक 23/10/24 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
23/10/24	वकील पक्षकारान उप०। प्रार्थी की द०१(10) आ०दी० पक्षकारान की सहमति से स्वीकार की जाकर पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित उनवान दिनांक 4/12/24 को पेश हों।
4-12-24	वकील पक्षकारान उप०। वास्ते पेश करने संशोधित उनवान दिनांक 22/01/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
22-1-25	पत्रावली प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। अप्रार्थी/प्रति० छोटी तारीख पेशी हेतु पर० मुल्वाद से स्वीकार हो चुकी है। अतः मुल्वाद के साथ प्रार्थना पत्र 4-2-25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)
4-2-25	पत्रावली मुल्वाद के साथ पेश हुई। वादी/प्रार्थी का मुल्वाद अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 912 R-T Act भी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फाइल शुमार होकर संलग्न मुल्वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)